

10-11-23

पत्रावली पेश करने पर अपरिष्कृत पत्रों का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 23.2.24 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

23.2.24

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
प्रारम्भिक कार्य स्वगत/परिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 23.2 को पेश हो।

17/5/24

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
प्रारम्भिक कार्य स्वगत/परिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 17/5 को पेश हो।

30/7/24

पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण अनुपस्थित,
वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता को कितनी बार
कक कक कर आवाजे दिलायी जावे उपरान्त भी उपस्थित
नहीं। वकील वादीगण के अनुपस्थित रहने से वादीगण
का वादपत्र अदम हाजरी / अदम पैरवी के खारीज किया
जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर मन्तर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मीतसाड़ा

प्रतिपत्नी
श्रीमती
शुमार
फंसल
कर दी जाये
Wsp